

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी-अनुभाग)



सं०:एस.जे.ई.-बी.-सी.(1)-2/2013-एस.एस.पी दिनांक शिमला-2-18 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्या: एस०जे०ई० -बी०-सी०(1)-2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम 3, 4, तथा नियम 8 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

नियम-3. परिभाषाएँ:

- (12) “ट्रॉसजैण्डर” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति जिनकी लैंगिक पहचान, लैंगिक आचरण/व्यवहार की अभिव्यक्ति जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित लिंग के अनुरूप न हो। ऐसे व्यक्ति विभिन्न नामों जैसे: हिजड़ा, ईयुन्छ, कोठी, अरवनिस, जोगपा, शिव-शक्ति, इत्यादि नामों से भी जाने जाते हैं।

नियम-4. पात्रता:

- (5) ऐसे ट्रॉसजैण्डर जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचान किए गए हों, बिना किसी आयु तथा आय सीमा के ट्रॉसजैण्डर पेंशन हेतु पात्र होंगे।

नियम-7. पेंशन की भत्ता/दरें:

1-10-2016 से 650/- रुपये प्रति माह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत “ ट्रॉसजैण्डर पेंशन” दी जाएगी। 80 वर्ष से अधिक आयु के ट्रॉसजैण्डर व 70% से अधिक विकलांगता वाले ट्रॉसजैण्डर को अन्य पेंशन श्रेणियों की तरह 1200/- रुपये प्रतिमाह की दर से यह पेंशन दी जाएगी।

नियम-8. वृद्धावस्था पेंशन, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन, अपंग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया:-

जारी/---

4/11/2016
JH/JD/W
Ue
4/11
sh laksh

(च) ट्रांसजैण्डर के मामले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचान सम्बन्धी जारी प्रमाण-पत्र तथा स्वयं घोषित शपथ-पत्र।


आदेश द्वारा,

(अनुराधा ठाकुर)
सचिव (सा०न्या०एवं अधि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि दिनांक शिमला-2 28, अक्टूबर, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि०प्र०, शिमला-3
5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामलों, हि० प्र०, कसुम्पटी, शिमला-9
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, बेमलोई, शिमला-171001
8. विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
9. संयुक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
10. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री/मुख्य संसदीय सचिव, हि०प्र०, शिमला-2
11. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
12. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री शिमला-171005 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।


उप सचिव (सा०न्या०एवं अधि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी-अनुभाग)



सं०:एस०जे०ई०बी०-सी०(1)-2/2013 दिनांक शिमला-2 15, मई

परिशिष्ट (अडेन्डम)

इस विभाग की अधिसूचना संख्या: एस०जे०ई०बी०-सी०(1)-2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा जारी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 में संशोधन की बाबत जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 अप्रैल, 2017 के नियम 7(i) में "तथा" शब्द से पूर्व, "ट्रॉसजैण्डर", चिन्ह और शब्द जोड़े जाएंगे।

आदेश द्वारा,

Anuradha

अनुराधा ठकुर

प्रधान सचिव (सा०न्या०एवं अधि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि दिनांक शिमला-2 15, मई, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि०प्र०, शिमला-3
5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामलों, हि० प्र०, कसुम्पटी, शिमला-9
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, बेमलोई, शिमला-171001
8. विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
9. संयुक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
10. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री/मुख्य संसदीय सचिव, हि०प्र०, शिमला-2
11. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
12. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री शिमला-171005 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

छवि नान्टा

उप सचिव (सा०न्या०एवं अधि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(5).

ट्रांसजैन्डर पेंशन योजना

Transgender Pension Scheme

उद्देश्य

सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना

पात्रता

ऐसे ट्रांसजैन्डर जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचान किए गए हों, बिना किसी आयु तथा आय सीमा के ट्रांसजैन्डर पेंशन हेतु पात्र हैं।

सहायता

850/- रू0 प्रतिमाह।

70 वर्ष या इससे अधिक आयु के ट्रांसजैन्डर पेंशनरों को 1500/- रू0 प्रतिमाह।

प्रक्रिया

ट्रांसजैन्डर के मामले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचान सम्बन्धी जारी प्रमाण-पत्र तथा स्वयं घोषित शपथ-पत्र सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण कार्रवाई की जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतु सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है।

सम्पर्क अधिकारी

जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी।

Transgender Pension	<ul style="list-style-type: none"> • Pension to transgender up to 69 years of age without income criteria. 	1,000
	<ul style="list-style-type: none"> • Pension to transgender above 70 years of age without income criteria. 	1,700
	<ul style="list-style-type: none"> • An amount of ₹0.95 lakh have been spent up to December, 2022 to 10 pensioners against the budget provision of ₹15.00 lakh for the target of 150 pensioners. 	

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी-अनुभाग)

सं०:एस०जे०ई०बी०-एफ०(४)-३/२०१९ दिनांक शिमला-२ ४ अप्रैल, २०२२.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्या: एस०जे०ई०बी०-सी०(१)-२/२०१० दिनांक २९ जून, २०१० द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, २०१० के नियम-४(१), नियम-७ तथा नियम ८(२) व (३) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

नियम ४. पात्रता: (१) वृद्धावस्था पेंशन:-

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु साठ वर्ष या इससे अधिक है, को बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जायेगी।

नियम ७. पेंशन / भत्ता की दरें:-

- (I) ६०-६९ आयु वर्ग के पुरुषों और ६०-६४ आयु वर्ग की महिलाओं को दिनांक ०१.०४.२०२२ से वृद्धावस्था पेंशन, १०००/-रु० प्रति माह देय होगी।
- (II) ६५-६९ आयु वर्ग की महिलाओं को स्वर्ण जयंती नारी सम्बल योजना के तहत दिनांक ०१.०४.२०२२ से वृद्धावस्था पेंशन, ११५०/-रु० प्रति माह देय होगी।
- (III) ७० वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को दिनांक ०१.०४.२०२२ से वृद्धावस्था पेंशन, १७००/-रु० प्रति माह देय होगी।
- (IV) विधवा/परित्यक्त/एकल नारी पेंशन, दिव्यांग राहत भत्ता (४०-६९ प्रतिशत दिव्यांगता), को दिनांक ०१.०४.२०२२ से पेंशन/भत्ता, ११५०/-रु० प्रति माह देय होगा।
- (V) ७० प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगों को दिव्यांग राहत भत्ता दिनांक ०१.०४.२०२२ से १७००/-रु० प्रति माह देय होगा।
- (VI) कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता व ट्रांसजेंडर पेंशनरों को दिनांक ०१.०४.२०२२ से भत्ता/पेंशन १०००/-रु० प्रति माह देय होगी।

Cont..../2


8/4/22

: 2 :

नियम 8. (2) व (3): वृद्धावस्था पेंशन, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन, दिव्यांग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता, ट्रांसजैन्डर पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया:-

60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति/प्रार्थी, 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति, कुष्ठ रोगी एवं ट्रांसजैन्डर (अर्थात ऐसे सभी वर्ग जिनके लिये कोई आय सीमा की शर्त नहीं है), अपने प्रार्थना-पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र/दस्तावेज/चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा वचनबद्धता (undertaking) की प्रति सहित सीधे सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। इन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।


आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002।

पृष्ठांकन संख्या: :एस0जे0ई0बी0-एफ0(4)-3/2019 दिनांक शिमला-2 8 अप्रैल 2022.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला-3
5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले, हि0 प्र0, शिमला-9
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, हिमालैंड, शिमला-171001
8. उप सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
9. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री, हि0प्र0, शिमला-2
10. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला-2 ।
12. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-171005 ।



उप सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी-अनुभाग)

सं०:एस०जे०ई०बी०-एफ०(९)-४/२०१८ दिनांक शिमला-२ २६ मार्च, २०२०.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्या: एस०जे०ई०बी०-सी०(१)-२/२०१० दिनांक २९ जून, २०१० द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, २०१० के नियम-७ एवं अधिसूचना संख्या: एस०जे०ई०बी०-सी०(१)-२/२०१३ दिनांक १३ जून, २०१९ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-
नियम-७.पेंशन/भत्ता की दरें:-

विधवाओं व दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो वर्तमान में मु० ८५० रुपये प्रतिमाह है दिनांक ०१-०४-२०२० से मु० १००० रुपये प्रतिमाह होगी।

आदेश द्वारा,

(निशा सिंह)


अति०मुख्य०सचिव (सा०न्या०एवं अधि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठंकन संख्या: यथोपरि दिनांक शिमला-२

२६ मार्च, २०२०.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

१. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-१७१००२
२. प्रधान निजी सचिव एवं विशेष सचिव मुख्यमन्त्री, हि०प्र०, शिमला-२
३. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-२
४. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-१७१००२
५. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि०प्र०, शिमला-३
६. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
७. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामलों, हि० प्र०, कसुम्पटी, शिमला-९
८. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, बेमलोई, शिमला-१७१००१
९. संयुक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-२
१०. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री, हि०प्र०, शिमला-२
११. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
१२. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-१७१००५ ।


उप सचिव (सा०न्या०एवं अधि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी-अनुभाग)

14.6.2019
Director
Addl. Director
Joint Director
JD/DD (SCSP)
JD/DD (ECOMSA)
Supdt. G-I
Low Officer
AC (F&A)
Sh. Rakesh

संख्या:एस0जे0ई0-बी0-सी0(1)-2/2013 दिनांक शिमला-171002

13, जून, 2019.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एस0जे0ई0-बी0-सी0(1)-2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा संशोधित सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम 1997 के अनुसरण में उक्त संशोधन के उपबन्ध (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन की दरों में निम्नलिखित प्रावधान करने के सहर्ष आदेश देते हैं:-

उपबन्ध संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
7	पेंशन/भत्ता की दरें	
	(i) वृद्धावस्था/विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन, अपंग राहत भत्ता (40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत अक्षम पेंशनर), कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास भत्ता तथा ट्रांसजैण्डर को पेंशन 01-04-2018 से ₹ 750/- रुपये प्रति माह की दर से देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।	(i) वृद्धावस्था/विधवा/ परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन, अपंग राहत भत्ता (40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत अक्षम पेंशनर), कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास भत्ता तथा ट्रांसजैण्डर को पेंशन 01-07-2019 से ₹ 850/-रुपये प्रति माह की दर से देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
	(ii) 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षम पेंशनरों, ट्रांसजैण्डर को अपंग राहत भत्ता/पेंशन 01-04-2018 से ₹ 1300/- रुपये प्रति माह की दर से देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।	(ii) 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षम पेंशनरों, ट्रांसजैण्डर को अपंग राहत भत्ता/पेंशन 01-07-2019 से ₹ 1500/-रुपये प्रति माह की दर से देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
	(iii) 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी वृद्ध पेंशनरों, ट्रांसजैण्डर को 01-04-2018 से ₹ 1300/- रुपये प्रति माह की दर से पेंशन देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।	(iii) 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी वृद्ध पेंशनरों, ट्रांसजैण्डर को 01-07-2019 से ₹ 1500/- रुपये प्रति माह की दर से पेंशन देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

आदेश द्वारा,
निशा सिंह

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

14/6/19
13

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि दिनांक शिमला-2

13, जून, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
4. प्रधानमहालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला-3
5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामलें, हि0 प्र0, कसुम्पटी, शिमला-9
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, बेमलोई, शिमला-171001
8. संयुक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
9. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री शिमला-171005
10. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।

13/6/2019
विशेष सचिव (सा0न्या0 एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।